म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क/बी–6/नियमन/वि.अनु./डी.हाट/635/1222 भोपाल,दिनांक 13/05/2021

प्रति,

वाइस प्रेसिडेन्ट,
Green Agrevolution Private Limited (DeHaat TM)
x-3, 3rd Floor, Chandi Yayapar Bhawan, Exhibition Road,
Patna (Bihar)

शाखा प्रबंधक,
Green Agrevolution Private Limited (DeHaat TM)
हाउस नं–115, तहसील इटारसी, सोनावरी,
होशंगाबाद म0प्र0।

विषयः–मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथा संशोधित) के अधीन नवीन विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के संबंध मे।

संदर्भः–Green Agrevolution Private Limited (DeHaat TM) डीएलएफ टॉवर, सेक्टर 30 गुड़गांव जिला हरियाणा का पत्र दिनांक 25 फरवरी 2021

विषयांतर्गत लेख है कि मेसर्स Green Agrevolution Private Limited (DeHaat TM) डीएलएफ टॉवर, सेक्टर 30 गुड़गांव जिला हरियाणा के द्वारा म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम–2009 (यथा संशोधित) के अधीन विशेष अनुज्ञप्ति लिये जाने हेतु प्ररूप–एक मे आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमे कम्पनी के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति देवास जिला देवास मे उत्पादको से कृषि उपज क्रय करने हेतु 01 क्रय केन्द्र की स्थापना की अनुमति चाही गई है।

मेसर्स Green Agrevolution Private Limited (DeHaat TM) के द्वारा सन्दर्भित आवेदन में विशेष अनुज्ञप्ति लिये जाने हेतु संशोधित नियम–2009 के नियम 4(2) के अधीन विनिर्दिष्ट समूह (चार)–तिलहन, (पांच)–धान्य तथा दलहन की खरीदी हेतु आवेदन मे उल्लेख किया गया है।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथा संशोधित) के अधीन संशोधित 6 समूह नियत किये गये है और तदानुसार नियम 6 के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के नियत समूहवार प्रतिभूति की राशि निम्नानुसार नियत की गई है :–

(घ)	तिलहन	प्रति क्रय केन्द्र रूपए 1 लाख किन्तु न्यूनतम रूपए 3 लाख
(ड)	धान्य तथा दलहन	प्रति क्रय केन्द्र रूपए 1 लाख किन्तु न्यूनतम रूपए 3 लाख

मेसर्स Green Agrevolution Private Limited (DeHaat TM) के द्वारा आवेदन मे उल्लेखित 01 विनिर्दिष्ट मंडी समिति देवास जिला देवास मे 01 कय केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु संशोधित नियम 6 के अधीन राशि रूपये 3–3 लाख की (कुल 6 लाख) एचडीफएसी बैंक पटना, बिहार की 02 एफ.डी.आर. प्रस्तुत की गई है, जो कि प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के नाम से है, जिसकी अवसान तिथि 25 फरवरी 2026 एवं 07 अप्रैल 2026 तक है।

उक्त संदर्भित आवेदन दिनांक 25.02.2021 के अनुसार विशेष अनुज्ञप्ति मे उनके द्वारा 01 कय केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति चाही गई है। अतः मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 32–क के अधीन मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथा संशोधित) के नियम 4 (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मेसर्स ग्रीन एग्रीवाल्यूशन प्रा.लि. (DeHaat TM) को विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्रो मे उत्पादको से सीधे कृषि उपज कय करने के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन विशेष अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है :–

1/ आपके द्वारा खरीदी केन्द्र पर खरीदी किये जाने हेतु नियम 8(6) के तहत मंडी प्रांगण से न्यूनतम 03 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी पर कय केन्द्र स्थापना की अनुमति प्रदान की जाती है।

2/ अनुज्ञप्तिधारक के लिये प्रथमतः यह अनिवार्य होगा कि वह विनिर्दिष्ट कय–केन्द्र मे आवश्यक प्रसुविधा स्थापित करे।

3/ अतः मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 32–क के अधीन म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथा संशोधित) के नियम 4, 8, 10, 12 के अनुसार मेसर्स Green Agrevolution Private Limited (DeHaat TM) हाउस नं–115, तहसील इटारसी, सोनावरी, होशंगाबाद म0प्र0 को एक वर्ष के लिये अनन्तिम रूप से विशेष अनुज्ञप्ति अधिसूचित कृषि उपज केवल "तिलहन" एवं "धान्य तथा दलहन" कय के लिए स्वीकृत की जाती है। विशेष अनुज्ञप्ति का प्ररूप–3 परिशिष्ट–"अ" पर संलग्न है।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

(प्रियंका दास)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क/बी–6/नियमन/वि.अनु./डी.हाट/635/1223 भोपाल,दिनांक 13/05/2021

प्रतिलिपि :–

(1) संयुक्त/उप संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/सागर/ग्वालियर/रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथा संशोधित) के नियम 4 मे उपनियम (2) के अधीन उपरोक्तानुसार नवीन विशेष अनुज्ञप्ति "अधिसूचित कृषि उपज केवल "तिलहन" एवं "धान्य तथा दलहन" के लिए स्वीकृत की गई है। विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण मे अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे। साथ ही आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मण्डी समिति को दी जाये।

(2) सचिव कृषि उपज मण्डी समिति................................ जिला.............................. म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथा संशोधित) के नियम 4 मे उपनियम (2) के अधीन जारी उपरोक्तानुसार विशेष अनुज्ञप्ति (जो अधिसूचित कृषि उपज केवल "तिलहन" एवं "धान्य तथा दलहन" के लिए स्वीकृत की गई है। जिसकी छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है। प्रथमतः अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य है कि क्रय केन्द्र मे सुविधा स्थापित करे।

(3) चीफ प्रोग्रामर, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि अनुज्ञप्तिधारी मेसर्स **Green Agrevolution Private Limited** (DeHaat TM) हाउस नं–115, तहसील इटारसी, सोनावरी, होशंगाबाद म0प्र0 को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति को ई–अनुज्ञा मॉड्यूल मे आवश्यक प्रविष्टि किया जाये।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Prog:–
Constt. (E-anugya)
AG-I
Sandeep
01/06/2021

परिशिष्ट – "अ"

प्रारूप–तीन

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

विशेष अनुज्ञप्ति कमांक/एस.एल./21/10 दिनांक 13/05/2021

(एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों मे अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष अनुज्ञप्ति)

1. श्री/श्रीमती/कुमारी/मेसर्स Green Agrevolution Private Limited (DeHaat TM) हाउस नं–115, तहसील इटारसी, सोनावरी, होशंगाबाद म0प्र0 को अधिनियम की धारा 32–क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारबार हेतु दिनाँक 13. मई वर्ष 2021 को विशेष अनुज्ञप्ति एक वर्ष के लिए अनंतिम रूप से दी जाती है।

अनु.क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीनीकृत की गई है।	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता	रिमार्क
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	तिलहन/धान्य तथा दलहन	देवास	कृषि उपज मंडी समिति देवास जिला देवास	डी–हाट अमलावती, देवास	ग्राम अमलावती, विजयगंज, मण्डी रोड, देवास	श्री निरज शर्मा सीनियर मैनेजर मो0नं–9891903122	

2. इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवाग्र होगा कि वह वित्तीय वर्ष मे समस्त क्रय केन्द्रो मे मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करे

अनु0क्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्रय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा (मे0टन में {नियम 4 (2) देखिए}
(1)	(2)	(3)
2	तिलहन	2,000 मे0टन
3	धान्य तथा दलहन	2,000 मे0टन

3. अनुज्ञप्तिधारी, इस अनुज्ञप्ति के दिये जाने/नवीनीकृत किये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रत्येक विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्रों पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगा:–

(एक) इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज
(दो) पेयजल की समुचित व्यवस्था
(तीन) प्रकाश की समुचित व्यवस्था
(चार) पुरूष तथा महिलाओं के लिये शौचालय की प्रसुविधा
(पॉच) शेड की व्यवस्था
(छ) किसानों के लिये छायादार विश्राम स्थल
(सात) भुगतान काउन्टर
(आठ) ट्रेक्टर ट्राली आदि की पार्किंग की व्यवस्था
(नौ) नमी, कचरा तथा क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये आवश्यक उपकरण तथा प्रशिक्षित मानव शक्ति, नये संशोधन अनुसार

एक्सचेंज अनुज्ञप्तिधारक के मामले मे –

(एक) इलेक्ट्रानिक ट्रेडिग प्लेटफार्म,

(दो) उपयुक्त उपकरण के साथ श्रेणीकरण, किस्म परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सुविधा

(तीन) सुपुर्दगी केन्द्र

विनिर्दिष्ट कय केन्द्रो मे से किसी कय केन्द्रो मे प्रथम वर्ष की समाप्ति पर उपरोक्त प्रसुविधाओ को सृजित करने मे असफल रहने पर, एक वर्ष के लिये दी गई अनन्तिम विशेष अनुज्ञप्ति को ऐसे कय केन्द्र के लिये आगामी वर्षो के लिये नियमित नही किया जायेगा।

4. यह विशेष अनुज्ञप्ति दिनांक 13/05/2021 से 13/05/2022 तक प्रभावशील रहेगी, परन्तु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रदद की जा सकेगी।

5. यह अनुज्ञप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रदद की जा सकेगी :–

(एक) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र मे कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर,

(दो) मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर न करने पर,

(तीन) मण्डी फीस का अपवंचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाली मण्डी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर,

(चार) मण्डी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना–पत्र के अनुसार समय–सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिकमी पाये जाने पर,

(पॉच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा नियत समय–सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियॉ प्रस्तुत न करने पर,

(छ) बोर्ड, मण्डी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर,

(सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय न किये जाने पर

अनुज्ञप्ति जारीकर्ता :

कार्यालय की मोहर :

अधिसूचित प्राधिकारी / अधिकारी

प्रबंध संचालक
कार्यालय
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
अधिसूचित प्राधिकारी / अधिकारी
भोपाल
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)